COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(51)

नवीन पु. 1868/2016

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग - 1868-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–बिदिशा

1– हरप्रसाद पुत्र श्री बल्ला उर्फ बारेलाल
2– रामजीलाल पुत्र श्री गुबरा
3– हल्कईया पुत्र श्री घसिया
4– लालचन्द्र पुत्र श्री नेमीचन्द्र साहू
5– रामस्वरूप पुत्र श्री मूलचन्द्र राव
6– रमाशंकर पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद
निवासीण– ग्राम आनन्द पुर तहसील लटेरी जिला – बिदिशा (म.प्र.)

-- आवेदकगण

श्री ... 10.6.16 को आज दि. ... प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मोहनलाल पुत्र श्री बंशीलाल
निवासीण– ग्राम आनन्द पुर तहसील लटेरी जिला – बिदिशा (म.प्र.)

-- अनावेदक

10/06/16

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल 01 आनन्दपुर तहसील लटेरी जिला बिदशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक, मण्डल 01 आनन्दपुर तहसील लटेरी जिला बिदिशा के समक्ष भूमि खसरा क्र. 230,234 रकवा 114 क्रमशः 0.114 , 0.834 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था।
2. यहकि, अधीनस्थ प्राधिकारी, राजस्व निरीक्षक, मण्डल 01 आनन्दपुर तहसील लटेरी, जिला बिदिशा द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 31/ए–12/2015–16 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा ग्राम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1868-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	